आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या–160 / 2017

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

मालती देवी .... प्रथम पक्ष

बनाम

धनेश प्रसाद वगैरह ....द्वितीय पक्ष

14.12.2017

यह प्रक्रिया आवेदिका 1. मालती देवी पति–कामता सिंह, ग्राम–डाली, थाना–छत्तरपुर, जिला–पलामू ने 1. धनेश प्रसाद 2. महेन्द्र प्रसाद दोनो के पिता–स्व0 मुरली साव 3. भूषण प्रसाद 4. दामोदर प्रसाद 5. बिरेन्द्र प्रसाद तीनो के पिता–महेन्द्र प्रसाद सभी ग्राम–डाली, थाना–छत्तरपुर, जिला–पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में थाना प्रभारी, छत्तरपुर से इस कार्यालय के ज्ञापांक 949 दिनांक 21.08.2017 से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने डी0 आर0 नं0 2042 / 17 दिनांक 15.09.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति–व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0 प्र0 सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– मौजा–डाली, खाता सं0–46, प्लॉट सं0–725, रकबा–0.10 एकड़, चौहद्दी, उतर–लखन साह, दक्षिण–रोड, पूरब–बाबू राम सिंह एवं प्लॉट सं0 725, पश्चिम– महेन्द्र प्रसाद एवं –

8/33

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	धनेश प्रसाद की जमीन, के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा कि मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखील किये। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारन पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताय कि प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, जबकी द्वितीय पक्ष पिछड़ी जाति के अंतर्गत आते हैं। प्रसंगाधिन खाता सं0–46 प्रथम पक्ष का खतियानी भूमि है जिसका खतियानी रैयत बुनियाद सिंह थे। बुनियाद सिंह अपने पिछे दो पुत्र रामजीत सिंह एवं रामनरेश सिंह को छोड़कर मर गये। रामजीत सिंह के एक लड़के मुन्द्रिका सिंह हुए तथा मुन्द्रिका सिंह के एक पुत्र कामता सिंह हुए जो प्रथम पक्ष के पति हैं और कामता सिंह का इस वाद भूमि पर सम्पूर्ण हक दखल–कब्जा एवं स्वामित्व स्थापित है। हाल सर्वे का खतियान मुन्द्रिका सिंह और रामनरेश सिंह के नाम से तैयार हुआ है। द्वितीय पक्ष को खरवार जाति के भूमि पर दावा एवं विवाद उत्पन करना बेबुनियाद है। अतः निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त करने कि कृपा की जाय। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारन पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताय कि यह वाद थाना प्रभारी, छत्तरपुर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मौजा डाली के खाता सं0–46, प्लॉट सं0–725, रकबा–0.10 एकड़ भूमि के ऊपर प्रकिया प्रारम्भ कर नोटिस निर्गत किया गया। मौजा डाली के खाता सं0–46, प्लॉट सं0–725, रकबा–2.5 कट्ठा चौहद्दी, उतर–बंधु महतो, दक्षिण–

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	–रास्ता, पूरब–रघुनाथ प्रसाद, पश्चिम–नीज मकान खरीददार के अंतर्गत भूमि को धनेश प्रसाद एवं महेन्द्र प्रसाद दोनो के पिता–स्व0 मुरली साव मौजा–डाली ने रामनरेश सिंह वल्द बुनियाद सिंह व मुन्द्रिका सिंह वल्द रामजीत सिंह मौजा–डाली से 2525 रू0 देकर उक्त भूमि को खरीद किये हैं। रामनरेश सिंह एवं मुन्द्रिका सिंह उक्त भूमि पर दखल–कब्जा धनेश प्रसाद एवं महेंद्र प्रसाद को दे दिये। धनेश प्रसाद एवं महेंद्र प्रसाद उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में हैं। उक्त भूमि द्वितीय पक्ष के मकान से सटे पूरब की तरफ है, जिसमें विपक्षी के द्वारा आवासीय मकान बनाकर परिवार के साथ निवास करते हैं। इसलिये यह वाद न्यायहित में नहीं है। रामनरेश सिंह वल्द बुनियाद सिंह व मुन्द्रिका सिंह वल्द रामजीत सिंह मौजा–डाली ने सादा कागज पर रेभेन्यू स्टाम्प साटकर प्रश्नगत भूमि को विकी करने के प्रमाण में कागजात लिखा है और उसपर रामनरेश सिंह एवं मुन्द्रिका सिंह ने अपना हस्ताक्षर किया है। इस बात की जानकारी मालती देवी के पति कामता को भी है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत पाया कि उभय पक्ष वाद भूमि से संबंधित कोइ भी ठोस राजस्व दस्तावेज न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 14/1/2017 अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। 14/1/2017 अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.28 16:12:25 +05:30
Location: 192.168.238.105